राजस्थान सरकार

No Mask-No Entry
अतिआवश्यक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई, जिला अजमेर

E-Mail:- sdoarain@gmail.com
sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव
कैम्प कोर्ट ढसूक........ दिनांक 12.11.2024........ [illegible]क. 388/2020
उनवान सम्पति बनाम सरकार

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2) राज./2020 दिनांक 25.09.2024 की पालना में नियत तिथि से पूर्व तलब की जाकर आज दिनांक 12.11.2024 को कोर्ट कैम्प ढसूक में पेश हुई। वादीगण उप.। वादीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद ग्राम ढसूक स्थित कृषि भूमि खाता सं. 152 खसरा सं. 1208/460, 278, 460 में बबलू पुत्र खेमा, सुमन पुत्री खेमा व सम्पति पत्नि खेमा के स्थान पर क्रमशः बबलू पुत्र खेमराज, सुमन पुत्री खेमराज व सम्पति पत्नि खेमराज दर्ज करवाने की प्रार्थना की है। सम्बन्धित पटवारी, भू.अ.नि. व तहसीलदार अरांई ने उक्तानुसार शुद्धि की अनुशंषा की है। हमारे द्वारा प्रार्थी को मजमे आम मे सुना गया व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अत: तहसीलदार अरांई अभिशंषा व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को ग्राम ढसूक स्थित कृषि भूमि खाता सं. 142 खसरा संख्या 1208/460, 278 व 460 में बबलू पुत्र खेमा, सुमन पुत्री खेमा व सम्पति पत्नि खेमा के स्थान पर क्रमशः बबलू पुत्र खेमराज, सुमन पुत्री खेमराज व सम्पति पत्नि खेमराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:17:31 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)